

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये



TEN
RUPEES

Rs.10

ICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AE 215640

FORM B

[See rule 3(4)]

DECLARATION, SUPPORTED BY AN AFFIDAVIT, WHICH SHALL BE SIGNED BY THE
PROMOTER OR ANY PERSON AUTHORIZED BY THE PROMOTER

Affidavit cum Declaration

Affidavit cum Declaration of Bankey Bihari Avas Private Limited through its director Sh.
Pramod Kumar Gupta promoter of the proposed project *Viheyan Green*

I, promoter of the proposed project does hereby solemnly declare, undertake and state as
under:

1. That the firm has a legal title to the land on which the development of the project is
proposed
2. That the said land is free from all encumbrances.
3. That the time within which the project shall be completed by me is- **Project completed
Completion certificate received from Agra Development Authority**
4. That seventy percent of the amounts realized by me /promoter for the real estate project
from the allottees, from time to time, shall be deposited in a separate account to be
maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost and shall
be used only for that purpose. - **Project completed Completion certificate received from
Agra Development Authority**
5. That the amounts from the separate account, to cover the cost of the project, shall be
withdrawn in proportion to the percentage of completion of the project. - **Project completed
Completion certificate received from Agra Development Authority.**

For Bankey Bihari Avas Pvt. Ltd.

प्रमोद कुमार गुप्ता

Managing Director/Director

म.प्र. विधान सभा...
अध्यक्ष महोदय को प्रार्थना है...

51
25-6-71
व.व. व.

.....

विधान सभा
अध्यक्ष महोदय को 62
सदस्यों की संख्या में 30
सदस्यों की संख्या में 30

उपस्थित

पुनः

(सं. 10)

INDIA NON JUDICIAL

पुनः

पुनः

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. That the amounts from the separate account shall be withdrawn after it is certified by an engineer, an architect, and a chartered accountant in practice that the withdrawal is in proportion to the percentage of completion of the project- **Project completed Completion certificate received from Agra Development Authority**

7. That I- promoter shall get the accounts audited within six months after the end of every financial year by a chartered accountant in practice and shall produce a statement of accounts duly certified and signed by such chartered accountant and it shall be verified during the audit that the amounts collected for a particular project have been utilized for the project and the withdrawal has been in compliance with the proportion to the percentage of completion of the project. - **Project completed Completion certificate received from Agra Development Authority**

8. That I / promoter shall take all the pending approvals on time, from the competent authorities. - **Project completed Completion certificate received from Agra Development Authority**

9. That I / promoter have furnished such other documents as have been prescribed by the rules and regulations made under the Act.

10. That I / promoter shall not discriminate against any allottee at the time of allotment of any apartment, plot, or building on any grounds.

Note- Completion certificate from Agra Development Authority is annexed with the Affidavit

For Bankey Bihari Avas Pvt. Ltd.
Deponent


Managing Director/Director

Verification

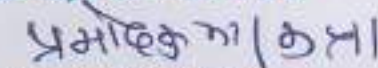
The contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me there from.

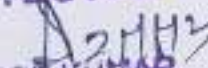
Verified by me at on this 28th day of June, 2024 For Bankey Bihari Avas Pvt. Ltd.


Deponent
Managing Director/Director

I declare that the pan card, adhaar number/CIN number uploaded on website is correct and both are of the promoter. I also declare that all other document submitted are correct. If any information, document including details of payment made as fee etc. are found mislead or wrong, the authority may reject the registration.

For Bankey Bihari Avas Pvt. Ltd.


Managing Director/Director

ATTESTED

ASHOK KUMAR
ADVOCATE
DIST NOTARY
AGRA



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या:-20190116113404760

दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-110, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित भू-विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिकासी अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं०-20190116113404760 दिनांक 10.05.2019 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

प्रपत्र-द

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या-2.1.8)
आगरा विकास प्राधिकरण

भाग-अ

- | | | | |
|----|-------|---|---|
| 1. | (i) | आवेदक का नाम | BANKEY BIHARI AVAS PVT. LTD. |
| | (ii) | वर्तमान पता | GANDHI NAGAR |
| 2. | | खसरा / भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम / मोहल्ला / बार्ड | KH.NO. 110, VIHAN GREEN, MAUJA JAGANPUR, AGRA |
| 3. | | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | 12806.18 SQM. |
| 4. | | अनुमन्य भू-उपयोग | RESIDENTIAL |
| | (i) | विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि | 10/05/19 |
| | (ii) | परमिट संख्या | 20190116113404760 |
| | (iii) | यदि अनधिकृत विकास का शमन कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक का विवरण देते हुए शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें | -
- |

5. भू-उपयोग का विवरण :

क्रमांक	भू-उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		विचलन	
		क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	आवासीय	7423.80	59.80	7423.80	59.80		
(ii)	वाणिज्यिक	-	-	-	-		
(iii)	अन्य	201.42	1.62	201.42	1.62		
(iv)	पार्क एवं खुला स्थान	1320.69	10.63	1320.69	10.63		
(v)	सड़कें तथा गलियाँ	3468.05	27.95	3468.05	27.95		



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
पत्रांक संख्या:-20190116113404760

दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-110, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित भू-विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशाली अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं०-20190116113404760 दिनांक 10.05.2019 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


26/2/21

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

6. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
(i)	प्राइमरी स्कूल	-					
(ii)	हायर सेकेंडरी स्कूल	-					
(iii)	डिग्री कालेज	-					
(iv)	डिस्पेन्सरी	-					
(v)	अस्पताल	-					
(vi)	पोस्ट आफिस	-					
(vii)	कम्युनिटी सेन्टर	-					
(viii)	पुलिस स्टेशन	-					
(ix)	फायर स्टेशन	-					
(x)	टेलीफोन एक्सचेंज	-					
(xi)	बस स्टेशन	-					
(xii)	टैक्सी स्टैण्ड	-					
(xiii)	जन-सुविधाएं	-					
(xiv)	अन्य-सुविधाएं	-					

7. निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें :-

- सड़कें
- सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्चर)
- पुलिया (कल्वर्ट)
- मार्ग प्रकाश व्यवस्था
- पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस-वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेंट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।
- ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।
- सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिप्स की स्थिति।
- सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)
- बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।
- विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रांसफार्मर्स तथा 11 कं.वी.ए. सब-स्टेशन की स्थिति एवं ट्रांसफार्मर्स की क्षमता अंकित हो।
- सीवर का अन्तिम निस्तारण-विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाईन में जोड़ने का विवरण।



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या:-20190116113404760

दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-110, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित भू-विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशाली अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं०-20190116113404760 दिनांक 10.05.2019 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

- (xii) ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम।
8. शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था :-
- सड़कें
 - पानी की निकासी (ड्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था)
 - पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)
 - विद्युत व्यवस्था (33 के.वी.ए./11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर की स्थिति)
 - सीवर/ड्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति
9. विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन
- उपविधि के अन्तर्गत है/नहीं है हाँ/नहीं
 - यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। हाँ/नहीं
- अथवा
- पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है। हाँ/नहीं
- (यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचना :-
- विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नहीं हुआ है।

अथवा

विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न है) अब कोई ऐसा विचलन नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू-उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है। सभी सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार हैं। अतः मुझे/हमें उपरोक्त वर्णित ले-आउट प्लान का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :-

- 1.
- 2.
- 3.

For Banker Bharti Singh

Managing Director/Director

दिनांक : 04/02/2021

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

18/02/2021

18/02/2021



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या:-20190116113404760

दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-110, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित भू-विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशाली अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं०-20190116113404760 दिनांक 10.05.2019 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


26/2/21
मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

**पंजीकृत वास्तुविद/नगर नियोजक का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)**

मैंने श्री/श्रीमती BANKEY BHARIAMS PVT. LTD. (आवेदक का नाम) का, HARIPARWAT, वार्ड स्थित क्षेत्र/योजना VIHAN GREEN, का निरीक्षण दिनांक 01/02/2021, को किया तथा उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं स्थल जाँच के उपरान्त सही पाई गई हैं। इस संदर्भ में मेरी जाँच आख्या निम्नवत् है :-

विकास के सभी कार्य आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

अथवा

विकसित योजना, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप है।

अथवा

विकसित योजना में स्वीकृत विन्यास मानचित्र से विचलन है जो क्रमांक-9 पर अंकित कर दिया गया है तथा शमन योग्य विचलन का शमन कराया जा चुका है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत वास्तुविद/नगर नियोजक

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक 04/02/2021

भाग-स

**रेनवाटर हार्वैस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)**

विकसित योजना में रेनवाटर हार्वैस्टिंग (ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक 04/21.2021

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये



TEN
RUPEES

Rs.10

CIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AE 215641

AFFIDAVIT FOR SEPARATE BANK ACCOUNT

To,
Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Naveen Bhavan, Rajya Niyojan Sansthan,
Kala Kankar House, Old Hyderabad,
Lucknow - 226007

Sub: Affidavit / Declaration for Bank Account for the Project Vihaan Green

Bankey Bihari Avas Private Limited through its director **Sh. Pramod Kumar Gupta** do hereby solemnly declare, undertake, and state that the following bank accounts have been opened for the project Vihaan Green.

I also undertake that any secured/ Unsecured project finance availed will be deposited in the separate bank account only.

	Collection Account	Separate Account	Transaction Account
Name on Account	Bankey Bihari Avas Private Limited	N.A	N. A
Account Number	37614029191	Project completed.	Project completed.
Bank Name	State Bank of India	Completion certificate	Completion certificate
Branch Name	Kamla Nagar	obtained from Agra	obtained from Agra
Branch Address	Kamla Nagar Agra	Development Authority	Development Authority
IFSC	SBIN0031899		

For Bankey Bihari Avas Pvt. Ltd.

प्रमोद कुमार गुप्ता
Managing Director/Director

52
24-6-21

प्रति. प्रमुख

प्रमुख जाल अग्रवाल
कलकत्ता 31-3-20
प्रधानी कलकत्ता अग्रवाल



प्रति. प्रमुख

Note- Completion certificate from Agra Development Authority is annexed with the Affidavit

For Bankey Bihari Avas Pvt. Ltd.

Managing Director/Director

Deponent

Verification

For Bankey Bihari Avas Pvt. Ltd.

The contents of My above affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me therefrom

Managing Director/Director

Verified by me at Agra on this 25th date of June 21

Deponent



ATTESTED
ASHOK KUMAR
ADVOCATE
DIST NOTARY
AGRA